2018 का विधेयक संख्यांक 171

[दि सेंट्रल युनिवर्सिटीज (अमेंडमेंट) बिल, 2018 का हिन्दी अनुवाद]

# केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018

**केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009**
**का और संशोधन**
**करने के लिए**
**विधेयक**

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2018 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

नई धारा 3ग और 3घ का अंतःस्थापन ।

2. केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3ख के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-- 2009 का 25

आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना ।

"3ग. एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जो आंध्र प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय के नाम से ज्ञात एक निगमित निकाय होगा, जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता का विस्तार इस अधिनियम की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट संपूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य तक होगा ।

आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना ।

3घ. भारत की जनजातीय जनसंख्या के लिए प्राथमिक रूप से उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं के अवसर प्रदान करने के लिए, आन्ध्र प्रदेश राज्य में एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जो आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के नाम से ज्ञात एक निगमित निकाय होगा, जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता का विस्तार इस अधिनियम की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट संपूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य तक होगा ।"।

धारा 5 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 के अंत में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु धारा 3घ के अधीन स्थापित जनजातीय विश्वविद्यालय, जनजातीय केंद्रस्थ उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान, जिसके अंतर्गत कला, संस्कृति और रूढ़ियां भी हैं, के लिए विशेष ध्यान देने के लिए अतिरिक्त उपाय करेगा ।"।

पहली अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन ।

4. मूल अधिनियम में, पहली अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :--

## "पहली अनुसूची

[धारा 3(4) देखें]

| क्रम संख्या | राज्य का नाम | विश्वविद्यालय का नाम | क्षेत्रीय अधिकारिता |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | आंध्र प्रदेश | आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय | संपूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य |
| 2. | आंध्र प्रदेश | आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय | संपूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य |
| 3. | बिहार | दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय | बिहार राज्य में गंगा नदी का दक्षिण राज्यक्षेत्र |
| 4. | बिहार | महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय | बिहार राज्य में गंगा नदी का उत्तर राज्यक्षेत्र |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 5. | गुजरात | गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय | संपूर्ण गुजरात राज्य |
| 6. | हरियाणा | हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय | संपूर्ण हरियाणा राज्य |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय | सूंपूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य |
| 8. | जम्मू-कश्मीर | कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय | जम्मू-कश्मीर राज्य का कश्मीर खंड |
| 9. | जम्मू-कश्मीर | जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय | जम्मू-कश्मीर राज्य का जम्मू खंड |
| 10. | झारखंड | झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय | संपूर्ण झारखंड राज्य |
| 11. | कर्नाटक | कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय | संपूर्ण कर्नाटक राज्य |
| 12. | केरल | केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय | संपूर्ण केरल राज्य |
| 13. | ओडिसा | ओडिसा केंद्रीय विश्वविद्यालय | संपूर्ण ओडिसा राज्य |
| 14. | पंजाब | पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय | संपूर्ण पंजाब राज्य |
| 15. | राजस्थान | राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय | संपूर्ण राजस्थान राज्य |
| 16. | तमिलनाडु | तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय | संपूर्ण तमिलनाडु राज्य ।"। |

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 विभिन्न राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना और निगमन हेतु तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियमित किया गया था ।

2. आंध्र प्रदेश राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना से उच्चतर शिक्षा तक पहुंच और उसकी क्वालिटी में वृद्धि होगी और इससे राज्य की जनता के लिए उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं का मार्ग भी सुकर और प्रशस्त होगा । इसके अतिरिक्त जनजातीय विश्वविद्यालय में, भारत की जनजातीय जनसंख्या को जनजातीय कला संस्कृति और रुढ़ियों में शिक्षण और अनुसंधान सुविधाएं और प्रौद्योगिकी में अभिवर्धन प्रदान करने के द्वारा अग्रिम ज्ञान का संवर्धन किया जाएगा । जनजातीय शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करने के अतिरिक्त, केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में किसी अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालय की तरह ही सभी शैक्षणिक और अन्य क्रियाकलाप कार्यान्वित किए जाएंगे । वर्तमान में, आंध्र प्रदेश राज्य में कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, जबकि गोवा के सिवाय अन्य सभी राज्यों में एक या अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं । इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और एक केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अधीन बाध्यकारी है ।

3. तदनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य में "आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय" के नाम से एक विश्वविद्यालय और "आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय" के नाम से एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का उपबंध करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है ।

4. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
3 दिसंबर, 2018

**प्रकाश जावडेकर**

# वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में नई धारा 3ग और धारा 3घ अंत:स्थापित करने के लिए है, जिससे आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय और आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के नाम से ज्ञात निगमित निकायों के रूप में दो नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा सके, जिनकी क्षेत्रीय अधिकारिता संपूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य तक हो ।

2. दो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की अवसंरचना दो चरणों में, मार्च, 2022 में समाप्त होने वाली 2018-19 से 2021-22 की अवधि के लिए चार वर्ष तक व्यय पर सीमा के साथ स्थापित करनी होगी । अनुमानित लागत का लगभग पचास प्रतिशत चरण-1 में चार सौ पचास करोड़ रुपए की सीमा के साथ केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए और चार सौ बीस करोड़ रुपए की सीमा के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय के लिए खर्च किया जाएगा, जो कि दोनों विश्वविद्यालयों की चरण-1 की आठ सौ सत्तर करोड़ रुपए के रूप में कुल लागत होगी । तथापि, व्यय की पूर्ति मानव संसाधन मंत्रालय के बजट उपबंधों के माध्यम से भारत की संचित निधि से की जाएगी ।

## उपाबंध

## केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 25) से उद्धरण

*　　*　　*　　*　　*　　*

पहली अनुसूची
[धारा 3(4) देखिए]

| क्रम सं० | राज्य का नाम | विश्वविद्यालय का नाम | क्षेत्रीय अधिकारिता |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | बिहार | दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय | बिहार राज्य में गंगा नदी का दक्षिण राज्यक्षेत्र |
| 1क. | बिहार | महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय | बिहार राज्य में गंगा नदी का उत्तर राज्यक्षेत्र] |
| 2. | गुजरात | गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय | संपूर्ण गुजरात राज्य |
| 3. | हरियाणा | हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय | संपूर्ण हरियाणा राज्य |
| 4. | हिमाचल प्रदेश | हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय | संपूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य |
| 5. | जम्मू-कश्मीर | कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय | जम्मू-कश्मीर राज्य का कश्मीर खंड; |
| 5क. | जम्मू-कश्मीर | जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय | जम्मू-कश्मीर राज्य का जम्मू खंड] |
| 6. | झारखंड | झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय | संपूर्ण झारखण्ड राज्य |
| 7. | कर्नाटक | कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय | संपूर्ण कर्नाटक राज्य |
| 8. | केरल | केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय | संपूर्ण केरल राज्य |
| 9. | उड़ीसा | उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय | संपूर्ण उड़ीसा राज्य |
| 10. | पंजाब | पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय | संपूर्ण पंजाब राज्य |
| 11. | राजस्थान | राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय | संपूर्ण राजस्थान राज्य |
| 12. | तमिलनाडु | तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय | संपूर्ण तमिलनाडु राज्य |

*　　*　　*　　*　　*　　*



MGIPMRND—2258LS(CRC)—10-12-2018.